SJIF 2015 : 3.801
ISSN: 2348-3083
An International Peer Reviewed & Referred
SCHOLARLY RESEARCH JOURNAL FOR
HUMANITY SCIENCE & ENGLISH LANGUAGE

राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

शिरीष पाल सिंह, Ph. D.

सह प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, म.गां.अं.हि.वि.वि.वर्धा–442001

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पश्चात हमारे गणराज्य की प्रथम महिला राष्ट्रपति महामान्य श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने देशवासियों के लिये अपने प्रथम उद्‌बोधन में कहा था कि "हमें कुपोषण, सामाजिक बुराइयों, बालमृत्यु तथा कन्या भ्रूण हत्या को अपने देश से निष्कासित करना है। हम शिक्षा के विकास, बाल–अधिकारों तथा पृथ्वी की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक वर्ग–विशेषरूप से कमजोर तथा वंचित वर्ग आर्थिक विकास की प्रक्रिया में समान रूप से प्रतिभागी बनें। उन्होंने 17वीं शताब्दि के महान संत कवि तुकाराम की मराठी कविता को उद्‌धृत करते हुए कहा कि "जो निर्धनों का मित्र है वही संत है, क्योंकि परमात्मा उसी के साथ हैं। हमारे लोग चाहते हैं कि अच्छा शासन, तीव्र विकास, शान्ति तथा सुरक्षा मिले। हम सब को विरोधी विध्वंसात्मक प्रवृतियों जैसे कि साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा आतंकवाद से मिलजुल कर लड़ना है।" यह संदेश केवल राष्ट्राध्यक्ष का पारम्परिक भाषण नहीं था। यह भारतीय गणतंत्र की सम्मानीय राष्ट्रपति के हार्दिक उद्‌गार हैं जो कि भारतीय संविधान की आत्मा से विकसित होकर प्रकट हुए हैं।

एक देश से दूसरा देश डरा हुआ है। एक समाज दूसरे समाज से भयग्रस्त हैं, एक जाति दूसरी जाति से डरी हुई है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस अभय की बात कही गयी हैं वह अभय स्वयं भयभीत हो गया है। हम मित्रों से भी भयभीत है तथा अमित्रों से भी भयभीत हैं, आतंकवाद का प्रसार इन दिनों में सुरसा के मुँह की भाँति बढ़ता जा रहा हैं। आतंकवाद से वे लोग प्रभावित एवं ग्रसित हो रहे है, जिनका आतंकवाद से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। असुरक्षा का भय शायद ही पहले किसी भी युग में इतना रहा हो। हमारा इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व का इतिहास, आपसी युद्धों का लेखा जोखा रहा है। लेकिन आम जनता में सुरक्षाहीनता का भय कभी इतना नहीं रहा जितना आजकल है। क्रूरकर्माओं को वीर की उपाधि से विभूषित किया जा रहा है।

गांधी जी ने जिन जातियों को 'हरिजन' नाम दिया था वे आज तक 'जन' भी नहीं बन पाए है। हरिजन तो दूर की बात हैं। उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किए जाते रहे हैं। आप भले ही अस्पृश्यता को मानव जाति के लिए अभिशाप कहें या मानवजाति पर कलंक कहें। वे तो इसे परम्परागत एवं ईश्वर

का विधान मान रहे हैं। बनवासी, पर्वतवासी जन भी, मेरी तथा आपकी तरह भारत के सम्मानीय नागरिक है। उन्हें सुविधाओं की दृष्टि से कितना वंचित रखा गया है यह देश की राजधानी में बैठने वाला नागरिक अनुमान भी नहीं लगा सकता। उन्हें यातायात, चिकित्सा, विद्युत, सुरक्षा, विद्यालय कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है। फिर भी ये भारत के सम्मानीय नागरिक है। भारत ने अपने नागरिकों की शिक्षा के लिए प्रबन्ध करने का वचन दिया था और उस वचन की पूर्ति के लिए 10 वर्षों का समय निर्धारित किया था। क्या 1960 तक हम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा पाए? हमने शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधन किये (86वां संशोधन 2002) नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शिक्षा को जोड़ा फिर भी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा पाए। इसके कारण कुछ भी रहे हों लेकिन हमने भारत के निर्धन नागरिकों' के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय किया हैं, लेकिन मूक–प्राणी जवाब किससे मांगे?

आज हम वर्तमान के साथ ही अन्याय नहीं कर रहे हैं, भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे है। हम भ्रूणहत्याओं के दोषी हैं। शास्त्रों में भ्रूणहत्या को अत्यन्त घृणित अपराध बताया है तथा ऐसा करने वालों को घोर रौरव नरक में जाना होता है। आज न तो हम नरक की यातनाओं से भयभीत है न ही मानव निर्मित कानूनों की परवाह कर रहे है। भ्रूण–हत्याएँ विशेष कर नहीं बल्कि केवल कन्याभ्रूणों की हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा करने वालों को न तो सामाजिक रूप से दण्डित किया जा रहा है, न ही सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के द्वारा ही दण्डित किया जा रहा है। प्राकृतिक नियम के अनुसार कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या महिलाओं की होनी चाहिए। क्या यह सब ऐसा ही है? उत्तर मिलता है कि भारत में लिगांनुपात निरन्तर गिरता जा रहा हैं इसके कारणों को सभी जानते है– भ्रूणहत्या, कन्यावध एवं बाल्यकाल में कन्याओं की अधिक मृत्यु दर हैं। यही नहीं भारत में ऐसे भी गांव है जहां पर आज तक बारात ही नहीं पहुंच पाई है। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां पर सब क्रियाएं निष्फल हो जाती है। हम यह कहते चले आ रहे हैं आज से नहीं बल्कि सुदूर मनुकाल से, परन्तु आज तो देश भर में ऐसा हो रहा है। कन्यावध, कन्याभ्रूण–हत्या, दहेज–हत्या, महिला शिक्षा के मानक पुरुषों की शिक्षा से निम्न होना, महिलाओं को भोग की वस्तु मानना, क्या यह आधी धरा की मालिक महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है?

वृद्ध व्यक्ति किसी भी समाज के लिए गौरव की बात है। जिन परिवारों में वृद्धों की संख्या अधिक होती है, उससे उनके अच्छे खानपान स्वास्थ्यकीय सुविधाओं की उपलब्धता का परिचय मिलता है। जिस देश में वृद्धों की संख्या अधिक है, उन देशों की आर्थिक स्थिति को अच्छा माना जाता है। भारत में संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे है। संयुक्त परिवारों के विघटन से वृद्धों के सम्मुख समस्याओं का अम्बार लग जाता है। वृद्धों का खर्चा अधिक नहीं होता फिर भी उन्हें आश्रय देने के लिए उनकी संतान तैयार नहीं है। विदेशों में सरकार द्वारा संचालित 'वृद्ध–गृह' उपलब्ध हैं। यहां तो वे भी उपलब्ध नहीं है। जिन्होंने अपनी संतानों को बहुत कुछ दिया, राष्ट्र के निर्माण में योगदान किया, उनके

प्रति भी समाज का कुछ दायित्व हैं, व्यक्तियों का कुछ दायित्व है। क्या इस दायित्व की पूर्ति विधिपूर्वक हो रही हैं? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 देवीलाल ने अपने प्रांत में सभी वृद्धों की वृद्धावस्था पेंशन का प्रबंध किया था। क्योंकि उनका मानना था कि परिवार की आर्थिक स्थिति को वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ना उचित नहीं हैं। क्या सभी प्रांतों में वृद्धावस्था पेंशन चालू है? क्या इस पेंशन का वितरण विधिवत प्रतिमास किया जा रहा है? यह देखना भी समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक का दायित्व है।

अल्पसंख्यक समाज के लोग बहुसंख्यक समाज के सामने अपने आपको हीन अनुभव करते है। कई बार शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसी कमियां दृष्टिगोचर होती हैं जो कि अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारत एक धर्मप्रधान देश है। यहां पर हिन्दू, जैन बौद्ध, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, तथा पारसी निवास करते है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी धर्म सम्प्रदाय हैं, जिनसे बहुत कम लोग परिचित है। जैसे–जोरास्ट्रियन, यहूदी, आत्मवादी, पैगन, तथा मीयन। कुछ जनजातियां ऐसी है जोकि अपने को अलग धर्म के रूप में मानती है जैसे– ओरान, संथाल, गारो, गौंड, हो, खासी, मुंडा तथा नागा। क्या ये अति अल्पसंख्यक, अपने धर्म तथा उसके संरक्षण के लिए स्वतंत्र है?

भारत की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की जनसंख्या को शहरी क्षेत्रों में बसने वाली जनसंख्या की अपेक्षा रोजगार, बिजली, पानी, सूचना, शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा आदि की सुविधाएं कम मात्रा में उपलब्ध हैं। शिक्षा का स्तर निम्न है। जिस बालक का परिवार गांव में रहता है, उसे शिक्षा सुविधाएं शहर के मुकाबले किस स्तर की मिलती हैं, यह सभी जानते हैं। गांव के विद्यालयों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट हो चुका है कि हमारे देश में ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर अध्यापक नहीं है, ऐसे भी स्कूल हैं जहां पर भवन नहीं हैं। ऐसे भी विद्यालय है जहां पर भवन और अध्यापक दोनों ही नहीं है। यह आश्चर्य की बात तो है ही। क्या कागजी विद्यालयों से साक्षरता के स्तर में वृद्धि होगी? पिछले दशकों में एक नया वर्ग उभरकर आया है, जिसे दलित वर्ग कहा जाता है। यद्यपि अभी तक इसका कोई निश्चित स्वरूप उभरकर नहीं आया है। इसकी सीमाएं भी निर्धारित नहीं है। परन्तु इसका अस्तित्व है, जरूर है। दलित वे हैं जो सदियों से दबाये जाते रहे हैं जिनका शोषण होता रहा है। जो अपनी भूख मिटाने के लिए अभक्ष्य पदार्थों तक को खाने को मजबूर थे। जिनकी झोंपडियां गांव से दूर हुआ करती थीं। जो बेगार देने को मजबूर थे। ऐसे दलित वर्ग को समाज से न्याय की अपेक्षा है।

हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत है जिसका विकास सदियों में मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए हुआ है। सर्व–धर्म सद्भाव के रूप में जिस धर्म का विकास सह अस्तित्व के रूप में पनपा था वह आज निरन्तर ह्रास की ओर अग्रसर है। हमारे नृत्य, संगीत, लोकगीत, कठपुतली, मूर्तिकला, स्थापत्यकला, सामाजिक रीति रिवाज, साहित्य आदि सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षण की आवश्यकता है।

हमारी प्राकृतिक विरासत– नदियाँ, पर्वत, वन, वनस्पतियाँ, झीलें, तालाब, वन्यजीव आदि का अपक्षय होता जा रहा है इनके संरक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा हमारा अत्यन्त आवश्यक दायित्व है। हम एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य के नागरिक हैं। हमारे गणराज्य का एक विस्तृत, विशाल संविधान है। जिसमें 412 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इस संविधान पर हर भारतवासी को गर्व हैं। अनुच्छेदों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि हमारे राष्ट्र के सामने बहुत सारी समस्याएँ हैं जिनका हमें समाधान खोजना है। शिक्षा सही राह दिखाती है। अतः हम समस्या के मूल आधार को खोजें।

अध्ययन का शीर्षक

राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य

हमारे अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार से हैं :–

1. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का विषयवर्गों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का परिवेश के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति का सामाजिक वर्गों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

1. राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति अधिकांश भावी एवं सेवारत् अध्यापकों की अभिवृत्ति धनात्मक एवं उच्च स्तर का है।
2. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है।
3. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में लिंग के आधार पर सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है।
4. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में विषय वर्गों के आधार पर सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है।

5. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में परिवेश के आधार पर सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है।
6. राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति भावी अध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में सामाजिक वर्गों के आधार पर सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है।

अवधारणाएँ

महत्वपूर्ण अवधारणाएं इस प्रकार हैं :–

1. राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों से संबंधित प्रकरणों का बी.एड. पाठ्यचर्या में समावेश करने के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।
2. राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों से संबंधित प्रकरणों के शिक्षण के लिये शिक्षाविद् महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है। पहले चरण में राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति सेवारत तथा भावी अध्यापकों के अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है तथा दूसरे भाग में राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों से सम्बन्धित प्रकरणों की खोज कर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समाकलन करने एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए नॉरमेटिव सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। यह विधि शिक्षा एवं मनोविज्ञान में विस्तृत रूप से प्रयोग की जाती है। यह विधि किसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक विषय के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या एवं विवेचना करती है। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विधि उपयुक्त है इसलिए इस विधि को प्रयुक्त किया गया है।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन के लिए अनुसंधायक ने साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रविधि (Simple Random Sampling Technique) द्वारा न्यादर्श का चयन किया है। हमने अध्ययन के लिए 500 अध्यापकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया है। इनमें से 250 सेवारत अध्यापक तथा 250 भावी अध्यापक लिए गए हैं। भावी अध्यापकों के चयन के लिए हेमवंती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की सूची में से लॉटरी प्रविधि द्वारा 4 महाविद्यालयों का चयन न्यादर्श के रूप में किया हैं। इनमें शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 250 भावी अध्यापकों का चयन किया है।

सेवारत अध्यापकों के चयन के लिए देहरादून जिले के समस्त राजकीय तथा राजकीय अनुदान/मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कॉलेजों में से 25 महाविद्यालयों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा किया तथा अन्ततः इन विद्यालयों में से 250 सेवारत अध्यापकों का चयन किया गया। महाविद्यालयों तथा विद्यालयों की सूची तथा उनसे संदर्श के रूप में चयनित अध्यापकों तथा प्रशिक्षणार्थियों की सूची को सारणी 1 तथा सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया ळें

सारणी 1 चयनित शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम	भावी अध्यापकों की संख्या
1.	के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) महाविद्यालय, रुड़की	55
2.	ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन इन्द्रानगर, देहरादून।	72
3.	एस.जी.आर.आर (पी.जी.) महाविद्यालय, पथरीबाग, देहरादून	75
4.	कुकरेजा इन्स्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	48
	योग	250

सारणी .2 चयनित राजकीय तथा राजकीय अनुदान एवं मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट विद्यालयों की सूची

क्र.	विद्यालय का नाम	अध्यापकों की संख्या
1.	राजकीय इण्टर कालेज पटेल नगर, देहरादून।	14
2.	राजकीय इण्टर कालेज खुडबुड़ा, देहरादून	10
3.	एस.जी.आर.आर. गर्ल्स इण्टर कालेज, खुड़बुड़ा, देहरादून	6
4.	राजकीय इण्टर कालेज डाकपत्थर।	12
5.	राजकीय इण्टर कालेज हरबर्टपुर।	12
6.	राजकीय इण्टर कालेज कालसी	10
7.	श्री गुरूराम राय कालेज, नेहरूग्राम, देहरादून	15
8.	नारी शिल्प मन्दिर गर्ल्स इण्टर कालेज, देहरादून।	10
9.	महावीर जैन कन्या इण्टर कालेज, देहरादून।	6
10.	डी.ए.वी. इण्टर कालेज, प्रेमनगर	13
11.	आशाराम वैदिक इण्टर कालेज, विकासनगर	09
12.	राजकीय इण्टर कालेज, सेलाकुई	14
13.	राजकीय इण्टर कालेज, कौलागढ़	12
14.	राजकीय इण्टर कालेज, गढी श्यामपुर	10
15.	राजकीय इण्टर कालेज, रायवाला	14
16.	श्री लक्ष्मण विद्यालय इण्टर कालेज, देहरादून	10
17.	श्री गुरुराम राय इण्टर कालेज योगपुर डोईवाला	08
18.	धनानन्द राजकीय इण्टर कालेज, मसूरी	08
19.	राजकीय इण्टर कालेज, ऋषिकेश	10
2.0	राजकीय इण्टर कालेज लक्खीबाग देहरादून	05
21.	राजकीय इण्टर कालेज, राजपुर रोड़ देहरादून	07
22.	राजकीय इण्टर कालेज, किशनपुर	14
23.	राजकीय इण्टर कालेज, मालदेवता, रायपुर	08
24.	हरिश्चन्द गुप्त कन्या इण्टर कालेज, ऋषिकेश	08
25.	भवानी बालिका इण्टर कालेज बल्लुपूर, देहरादून	05
	कुल संख्या	250

राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन :

अभिवृत्ति मापनी में राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों से संबंधित कथनों की कुल संख्या 100 है। अभिवृत्ति मापनी पर अधिकतम 500 अंक आने की संभावना है। जबकि न्यूनतम अंक 100 आने की सम्भावना है। इस प्रकार इस उपकरण पर अंकों का सैद्धान्तिक विस्तार 100 से 500 तक है। 200 तक अंक प्राप्त करने वाले उत्तरदाता की अभिवृत्ति को पूर्ण अविधायक माना गया है। जबकि 200 से 300 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापक को अति निम्न विधायक अभिवृत्ति वाला माना गया है। जबकि 300 से 400 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को मध्यम विधायक अभिवृत्ति वाला माना गया है। 400 से 500 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को उच्च विधायक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति समझा गया है। आगे के प्रस्तुतीकरण में हम पहले समस्त अध्यापकों के अभिवृत्ति स्तर को प्रस्तुत कर रहे है। इसके

बाद विभिन्न वर्गों के अभिवृत्ति अंकों को प्रस्तुत कर रहे है। जिसमें अध्यापकों के अभिवृत्ति अंको का विभिन्न आधारों यथा– 3 पर समस्त अध्यापकों, 4 पर सेवारत एवं सेवापूर्व अध्यापक, 5 पर लिंग के आधार पर, 6 पर विषय वर्गों के आधार पर 7 पर परिवेश के आधार तथा 8 पर सामाजिक वर्गों के आधार पर निर्वचन किया गया है।

समस्त अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन :

समस्त अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंकों तथा सांख्यिकी मूल्यों को सारणी 3 तथा आलेख 1 (क) तथा 1 (ख) में प्रस्तुत किया गया।

सारणी 3 समस्त अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति

क्रमांक	वर्गान्तराल	आवृत्तियां	सांख्यिकी मूल्य	
1	471–490	2	निकष	मूल्य
2	451–470	46	संख्या	500
3	431–450	103	मध्यमान	415.38
4	411–430	169	प्रमाप विचलन	29.60
5	391–410	92	मध्यमान प्रमाप त्रुटि	1.323
6	371–390	50	मध्यांक	418.78
7	351–370	24	बहुलक	425.58
8	331–350	9	विषमता	–0.284
9	311–330	1	कुकुदता	0.135
10	291–310	4	–	–

निर्वचन : इनका तथा अन्य सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर विश्लेषण करने पर प्रकट होने वाले तथ्यों को निर्वचन में प्रस्तुत किया गया है।

1. अभिवृत्ति मापनी में 100 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों की अभिवृत्ति

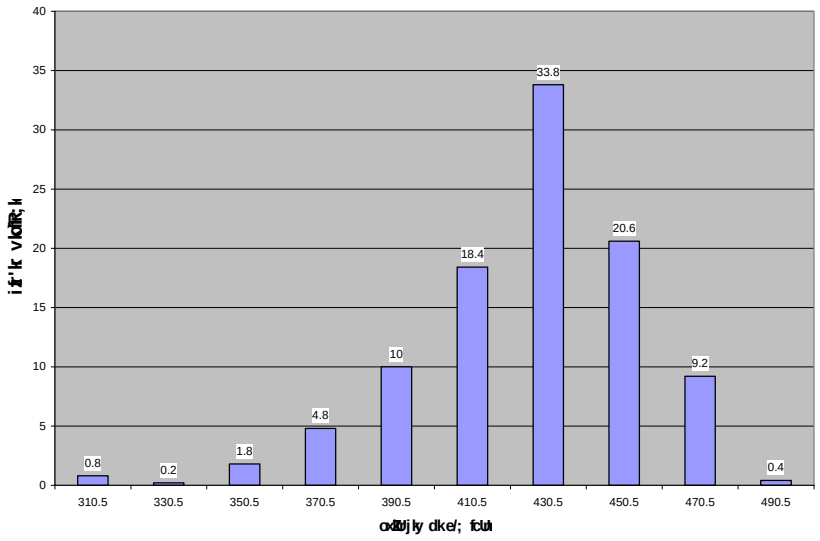

आलेख.1 (क) समस्त अध्यापकों के राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंकों का आवृत्ति वितरण

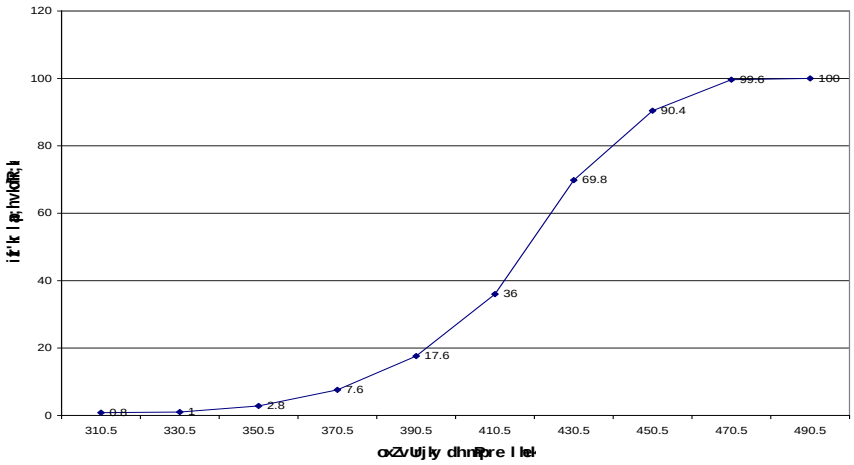

आलेख 1 (ख) समस्त अध्यापकों के राष्ट्रीय मूल्यो तथा मानव अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का संचयी आवृत्ति वक्र

को अविधायक तथा 101 से 200 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को आंशिक अविधायक माना जाएगा। हमारे संदर्श में इस प्रकार का कोई भी अध्यापक नहीं है। अभिवृत्ति मापनी में 201 से 300 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को मध्यम धनात्मक अविधायक अभिवृत्ति वाला माना गया है। इस प्रकार के अध्यापकों की संख्या हमारे संदर्श में मात्र दो हैं जिनके 297 अंक है। इन दो अध्यापकों में एक विज्ञान तथा एक वाणिज्य वर्ग के, एक सामान्य वर्ग तथा दूसरा एस.सी./एस.टी वर्ग का है। दोनों शहरी, दोनों महिलाएं तथा प्रशिक्षणरत है। दोनों हिन्दू है। एक 25 वर्ष तक की आयु वर्ग में है। दूसरा 26–30 आयु वर्ग का है। दोनों स्नातक हैं।301 से 400 अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को आंशिक रूप से विधायक अभिवृत्ति वाला माना जाएगा। इस संदर्श में इस वर्गान्तराल वाले अध्यापकों की संख्या 131 है जोकि संदर्श का 26.5 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 134 अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो कि संदर्श का 26.8 प्रतिशत है।400 से 500 तक अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों को उच्च धनात्मक अभिवृत्ति वाले माना जाएगा। इनकी संख्या 366 है। जो कुल अध्यापकों का 73.2 प्रतिशत है।

निहितार्थ : समस्त अध्यापकों में से 27 प्रतिशत अध्यापकों को राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति

अभिवृत्ति मापनी पर सेवारत तथा सेवापूर्व अध्यापकों द्वारा प्रदर्शित अभिवृत्ति अंकों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण सारणी 4 आरेख 2 (क) तथा आरेख 2 (ख) में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4 सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

क्रमांक	वर्गान्तराल	सेवापूर्व	स्वेारत	सांख्यिकी मूल्य		
1	471–490	1	1	निकष	सेवापूर्व	स्वेारत
2	451–470	29	17	संख्या	250	250
3	431–450	54	49	मध्यमान	417.57	413.25
4	411–430	86	83	प्रमाप विच.	29.339	28.505
5	391–410	40	52	म.प्र. त्रुटि	1.859	1.799
6	371–390	24	26	मध्यांक	421.00	416.00
7	351–370	5	19	बहुलक	427.86	421.5
8	331–350	9	0	कुकुदता	0.245	0.303
9	311–330	0	1	विषमता	–0.35	–0.289
10	291–310	2	2	क्रा, अनु.=1.666 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है		

निर्वचन : सारणी तथा अभिलेखों का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर प्रकट होने वाले तथ्यों का विवरण इस प्रकार है :– सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों के मध्यमान अंकों का अंतर 4.32 अंक है।इन वर्गों का प्रमाप विचलनों में अंतर 0.834 है। दोनों वर्गों के मध्यांको में 5 का अंतर है अर्थात 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या सेवापूर्व अध्यापकों में 11 है जबकि सेवारत अध्यापकों में मात्र 3 है। जबकि 351–370 वर्गान्तराल में सेवा पूर्व अध्यापक 5 है तथा सेवारत अध्यापक 19 है।

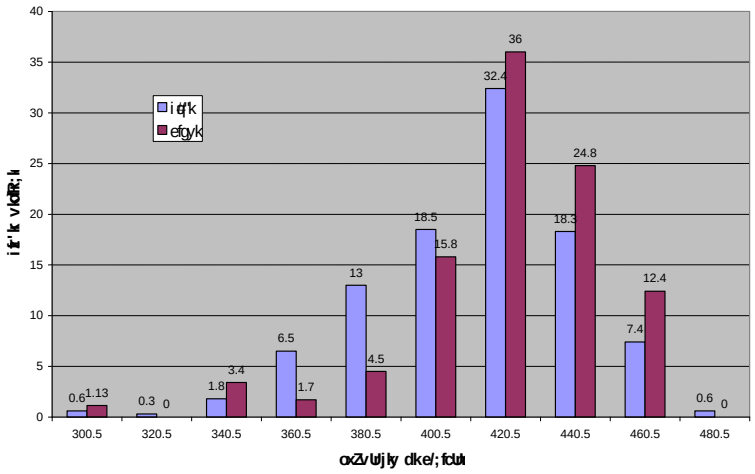

आलेख 2 (क)

सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यो एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंको का आवृत्ति वितरण

आलेख 2 (ख)

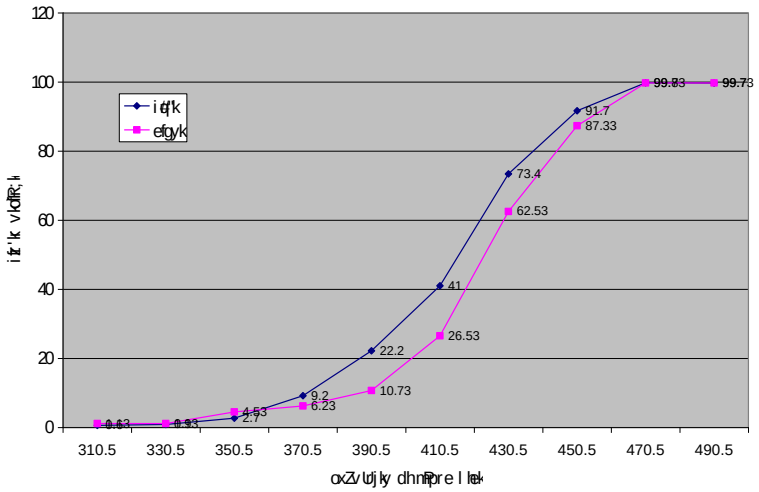

सेवापूर्व एवं सेवारत अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यो एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंकों का संचयी आवृत्ति वक्र

इन वर्गों के मध्यमानों में दिखाई दे रहा अन्तर सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं है।सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक स्तर का अंतर नहीं है। अतः सेवारत तथा सेवापूर्व दोनों वर्गों के अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता समान रूप से है।

5 लिंग के आधार पर अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति की तुलनाः

लिंग के आधार पर अध्यापकों के अभिवृत्ति अंकों को सारणी 5 तथा आरेख 3 (क) एवं 3 (ख) में प्रस्तुत किया है।

निर्वचन : इनके अवलोकन से प्रकट तथ्य इस प्रकार हैं :–पुरुषों के मध्यमान अंक 412.88 है तथा महिलाओं के मध्यमान अंक 420.11 हैं। इस प्रकार महिलाओं के मध्यमान अंक 7.23 अधिक हैं। मध्यमानों का यह अन्तर साख्यिकी दृष्टि से 0.01 स्तर पर सार्थक है क्योंकि क्रान्तिक अनुपात 2.668 है। महिलाओं और पुरुषों के अंको का वितरण सम है दोनों वर्गों के प्रमाप विचलन में केवल 0.448 का अंतर है। महिला अध्यापकों के अंकों का मध्यांक भी 7 अंक अधिक है।महिला अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति पुरुषों से अधिक अनुकूल है। अतः सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुरुष अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाए।

सारणी 5 लिंग के आधार पर अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति

क्रमांक	वर्गान्तराल	आवृत्तियां		सांख्यिकीय मूल्य		
		पुरुष	महिला	निकष	पुरुष	महिला
1	471–490	2	0	संख्या	323	177
2	451–470	24	22	मध्यमान	412.88	420.11
3	431–450	59	44	प्रमाप विच.	28.958	28.51
4	411–430	105	64	म.प्र. त्रुटि	1.611	2.143
5	391–390	64	28	मध्यांक	415.00	422.00
6	371–410	42	8	ब्हुलक	419.24	425.78
7	351–370	21	3	कुकुदता	0.169	0.263
8	331–350	3	6	विषमता	–0.219	–0.198
9	311–330	1	0	क्रा0 अनु0=2.668		
10	291–310	2	2	0.01 स्तर पर सार्थक		

शिक्षण विषयों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन :

शिक्षण विषयों के आधार पर अध्यापकों के अभिवृत्ति अंको को सारणी 6 में प्रस्तुत किया गया है तथा आलेख 4 (क) तथा .4 (ख) में इन्हें चित्रित किया गया है। सारणी तथा आलेखों का विश्लेषण आगे प्रस्तुत किया गया है।

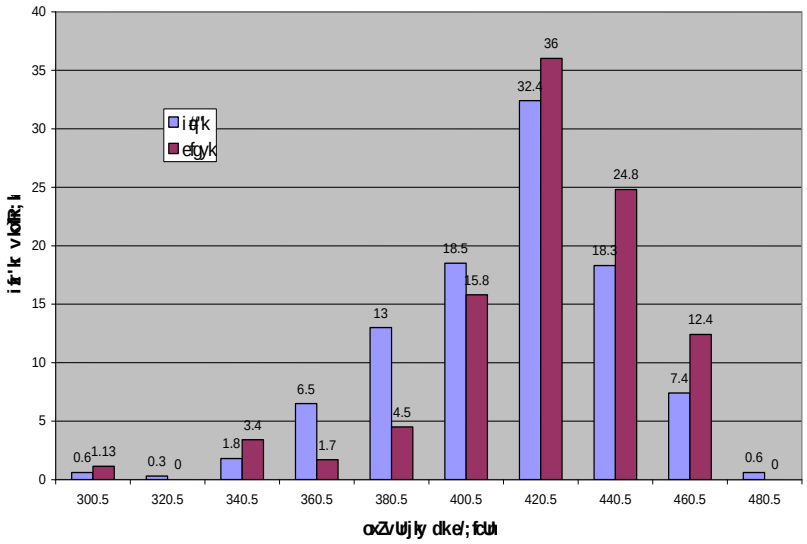

आलेख 3 (क) लिंग के आधार पर अध्यापकों के राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति–अंकों का आवृत्ति वितरण का स्तम्भ चित्र

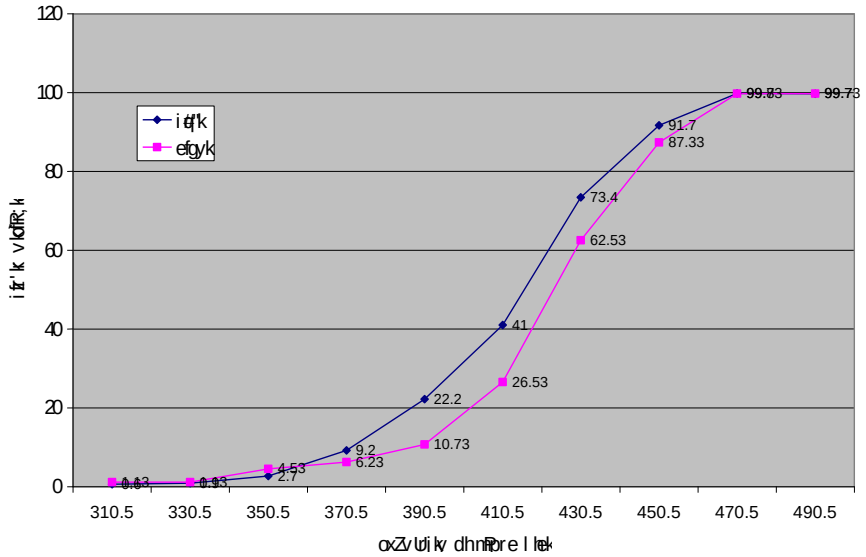

आलेख 3 (ख) लिंग के आधार पर अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंको का संचयी आवृत्ति वक्र

सारणी 6 शिक्षण विषयों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का आवृत्ति वितरण तथा सांख्कीय गणनाएं

क्रमांक	वर्गान्तर	आवृत्तियां			
		सा0 वि0	विज्ञान	भाषा	वाणिज्य
1	471–490	0	1	1	0
2	451–470	13	20	10	3
3	431–450	26	39	25	13
4	411–430	52	57	45	15
5	391–410	28	22	34	8
6	371–390	14	24	9	3
7	351–370	8	7	7	2
8	331–350	6	2	1	0
9	311–330	0	1	0	0
10	291–310	1	2	0	1
	संख्या	148	175	132	45
1	मध्यमान	413.31	416.61	415.36	417.69
2	प्रमाप विचलन	29.786	30.916	24.885	30.217
3	मध्यमान प्रमाप त्रुटि	2.448	2.765	2.166	4.504
4	मध्यांक	417.03	420.85	417.	421.833
5	एफ. अनुपात 5.26, 5 प्रतिशत स्तर पर सार्थक नहीं				

निर्वचन :

अध्यापकों के विषयवर्गानुसार मध्यमान अंको का एफ. अनुपात 5.26 है जोकि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। यहां पर मध्यमानों में दिखाई देने वाला अन्तर किसी अन्य कारक के कारण है। शायद पूर्व में प्रस्तुत किए क्रमांक 4.3.3 तथा आगे प्रस्तुत किए जाने वाले क्रमांक 4.3.5 पर सार्थक विभेद के कारण यह अंतर प्रकट हो रहा है:

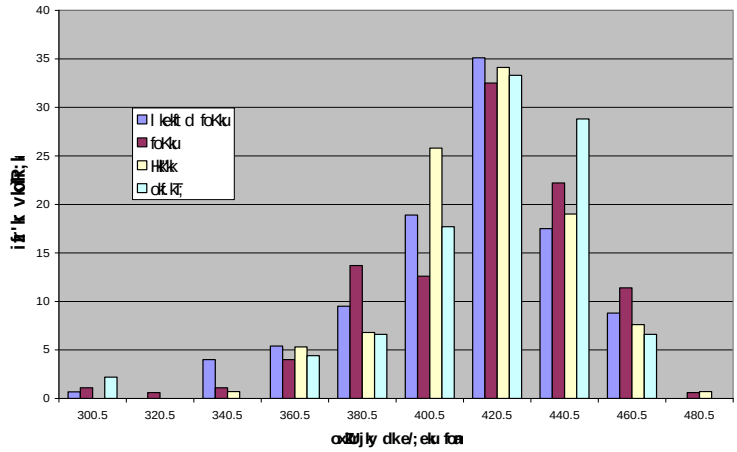

आलेख 4 (क) शिक्षण विषयों के आधार पर अध्यापकों के राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति–अंकों का आवृत्ति वितरण का स्तम्भ चित्र

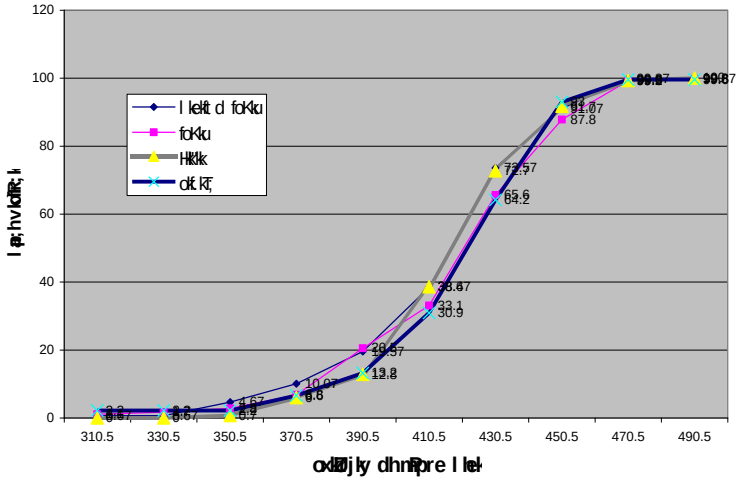

आलेख 4 (ख)

शिक्षण विषयों के आधार पर अध्यापकों की राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अभिवृत्ति अंको का संचयी आवृत्ति वक्र

निहितार्थ :

शिक्षण विषयों के आधार पर अध्यापकों के अभिवृत्ति स्तर में अंतर नहीं पाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण विषयों को आधार नहीं माना जाना चाहिए।

परिवेश के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति की तुलना

परिवेश को आधार मान कर अध्यापकों के अभिवृत्ति अंकों की तुलना को सारणी 7 तथा आलेख 5 (क) तथा 5 (ख) में प्रस्तुत किया गया इनका निर्वचन इस प्रकार है।

निर्वचन :

ग्रामीण अध्यापकों के अभिवृत्ति अंक का मध्यमान 411.88 है जबकि शहरी अध्यापकों के अभिवृत्ति अंकों का मध्यमान 419.08है। इनके मध्यमानों का अन्तर 8.08 अंकों का है। दोनों वर्गो के प्रमाण विचलनों में 0.245 का अन्तर है। इसका अर्थ है कि विचलन लगभग समान है।मध्यमानों के अन्तर की विभेदकता ज्ञात करने के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई है। क्रान्तिक अनुपात 3.11 है जोकि सार्थकता स्तर .01 के सारणी मूल्य 2.56 से अधिक है। इससें विदित होता हैं कि शहरी अध्यापकों के मध्यमान अभिवृत्ति अंक ग्रामीण अध्यापकों के मध्यमान मूल्यों से अधिक है।सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण परिवेश के अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए।

सारणी 7 परिवेश के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों के अभिवृति अंक

आवृत्तियां				सांख्यिकीय मूल्य		
क्रमांक	वर्गान्तर	ग्रामीण	शहरी	निकष	ग्रामीण	शहरी
1	471–490	1	1	संख्या	282	218
2	451–470	19	27	मध्यमान	411.88	419.96
3	431–450	52	51	प्रमा. विच.	28.617	28.862
4	411–430	92	77	म.प्र. त्रुटि	1.704	1.955
5	391–410	57	35	मध्यांक	415	422
6	371–390	35	15	बहुलक	421.24	426.08
7	351–370	18	6	कुकुदता	0.265	0.212
8	331–350	6	3	विषमता	–0.327	–0.212
9	311–330	1	0	क्रांति. अनुपात.= 3.11		
10	291–310	1	3	सार्थकता स्तर 0.01		

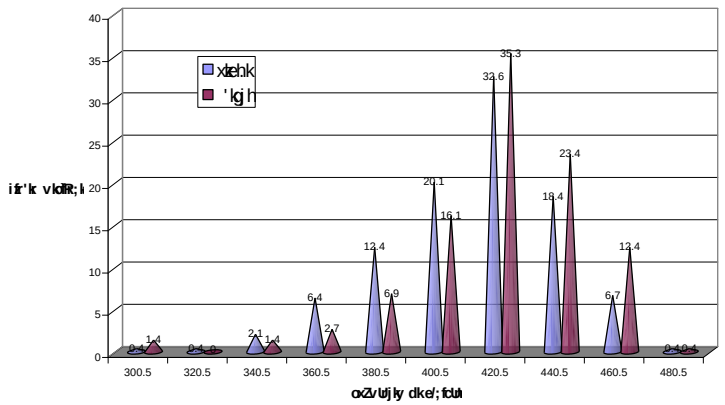

आलेख 5 (क) परिवेश के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों तथा मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों के अभिवृत्ति अंक

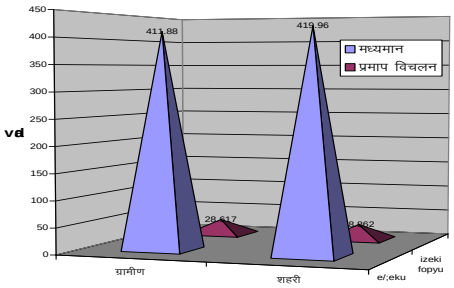

आलेख .5 (ख) परिवेश के आधार पर अध्यापकों के अभिवृत्ति के आधार पर अध्यापकों के सांख्यिकीय मूल्य

सारणी 8 सामाजिक वर्गों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति

क्रमांक	वर्गान्तराल	आवृत्तियां		
		सामान्य	अ.पि.व.	अनु.जाति व जनजाति
1	471–490	0	1	1
2	451–470	23	18	5
3	431–450	58	30	15
4	411–430	92	52	25
5	391–410	43	31	18
6	371–390	19	22	9
7	351–370	14	6	4
8	331–350	5	2	2
9	311–330	0	1	0
10	291–310	2	1	1
	संख्या	256	164	80
1	मध्यमान	416.82	415.29	411.08
2	प्रमाप विचलन	28.567	29.020	30.022
3	मध्यमान प्र. त्रुटि	1.785	2.266	3.364
4	मध्यांक	421.00	416.50	419.08
5	एफ. अनुपात 1.1884, .5 प्रतिशत स्तर पर सार्थक नहीं।			

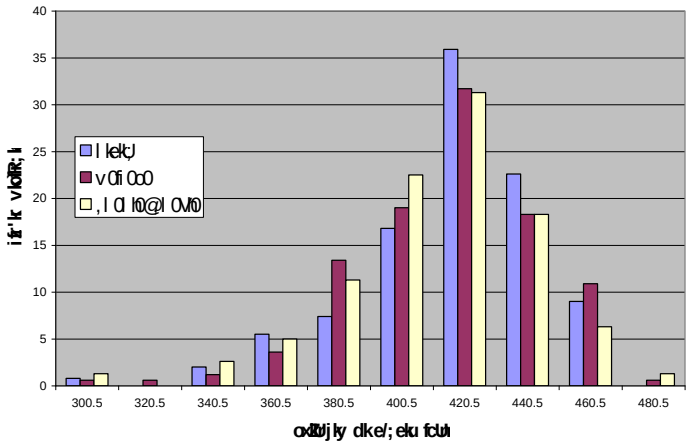

सारणी 4.3.6 (क) सामाजिक वर्गों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति

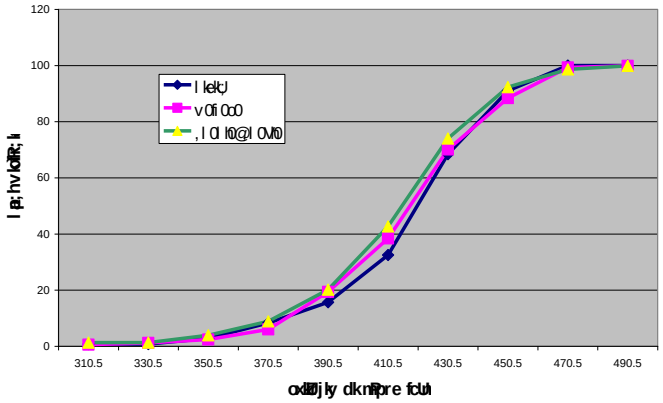

आलेख .6 (ख) सामाजिक वर्गों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति

निर्वचन :

सांख्यिकीय मूल्यों को इनका विश्लेषण करने पर प्रकट होने वाले तथ्य निम्नलिखित प्रकार से है :—मध्यमान अंकों को देखने से विदित होता है सामान्य वर्ग के मध्यमान अंक अन्य वर्गों से अधिक है। परन्तु मध्यमानों का पारस्परिक अन्तर सांख्यिकी की दृष्टि से सार्थक नहीं है। क्योंकि एफ. मूल्य 1.1884 है जोकि 0.05 स्तर के सार्थकता मूल्य से कम हैं। सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति प्रभावित नहीं हैं। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक वर्गों को आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के अध्ययन से सम्बन्धित सम्प्राप्तियां :

राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :–

(1) समस्त अध्यापकों में से 27 प्रतिशत अध्यापकों को राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(2) सेवापूर्व तथा सेवारत अध्यापकों की अभिवृत्ति में सार्थक स्तर का अन्तर नहीं है। अतः सेवारत तथा सेवापूर्व दोनों वर्गों के अध्यापकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

(3) महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति राष्ट्रीय मूल्यों एवं मानवाधिकारों के प्रति पुरुषों से अधिक अनुकूल है। अतः सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुरुष अध्यापकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाए।

(4) शिक्षण विषयों के आधार पर अध्यापकों के अभिवृत्ति स्तर में अन्तर नहीं पाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण विषयों को आधार नहीं माना जाना चाहिए।

(5) सामाजिक वर्गो के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति प्रभावित नहीं है अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सामाजिक वर्गों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

Agarwal U.C. (2007) : *उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पिछड़ों एवं गरीबों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं, प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 2004.*

Bhaskara, R.D. (1997) : *Scientific attitude, New Delhi, Discovery Publishing House.*

Bhatwadekar, M.G. (1989) : *नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा Rajasthan Board Journal of Education, 25-26(4-1), 39-43.*

Dubey, L.N. Gyni, S. (1993) : *विभिन्न विषय में वर्गों के अध्यापकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अध्ययन। भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका जन–जून 1993.*

Fraenkel, J.R. (1977) : *How to Teach about Values* ***:*** *An Analytic Approach. New Jersey, E. Cliffs* ***:*** *Prentice-Hall, Inc.*

Gandhi, Jagdish (2006) : *आज की शिक्षा की चुनौतियां..... । प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2006.*

Garrett, E. Henery (2004) : *Statistics in Psychology & Education. New Delhi, Paragon International Publishers, Dariyaganj.*

Govt. of India :

: *Report of committee on Emotional Intigration, Ministry of education, 1962.*

: *Report of the committee for review of National policy of education 1986, 1990.*

: *Report of the committee on Religious and Moral. Instruction. Ministry of Education. 1959.*

: *Report of the education commission on education and National Development 1964-66. Ministry of seducation. 1966.*

: *Report of the National Policy on education (1986) Ministry of Human Resources.*

: *भारत का संविधान : विधि एवं न्याय मंत्रालय विधायी विभाग, राजभाषा खण्ड 1996*

: *भारत 2007, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय,*

: *भारत 2008 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय*

: *कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2006, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानवाधिकार विकास विशेषांक।*

: बालक अधिनियम 1960 (1 अगस्त 1985 तक यथा विद्यमान, विधि एवं न्याय मंत्रालय)
: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1 फरवरी 1999 तक यथाविद्य)
: The Protection of Human Right Act 1993.
: बाल अधिकार और बाल संरक्षण, आशारानी बोहरा, प्रकाशन विभाग (1999)।
: बाल विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, रेणुका चौधरी योजना नवम्बर 2008.
: भारतीय बच्चे : एक विवरण, योजना, नवम्बर 2006
: गरीबों की शिक्षा के हक के लिए संघर्ष, शांता सिन्हा, योजना, नवम्बर 2006
: ग्रामीण बच्चों के लिए कठिन दौर, कृष्ण कुमार, योजना, नवम्बर 2006
: विकास प्रत्येक बच्चे का अधिकार, निर्मला लक्ष्मणन, योजना, नवम्बर 2006
: बच्चों के विकास में बाल फिल्मों की भूमिका, जयसिंह, योजना, नवम्बर 2006
: एक भारत दो चेहरे, योजना, नवम्बर 2006
: बाल कल्याण के लिये अधिकारोन्मुख राह अपनाएं, योजना, नवम्बर 2007
: 46 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे कुपोषण से ग्रस्त, योजना, नवम्बर 2007
: ग्रामीण बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007
: बालश्रम एक कलंक, कुरुक्षेत्र, नवम्बर 2007
: संकट में बचपन, कुरुक्षेत्र 2007
: बालश्रम समस्या कारण एवं प्रभाव, कुरुक्षेत्र 2007
: ग्रामीण भारत में बालश्रम, कुरुक्षेत्र 2007
: Challenges of Education**:** Policy Perspectives, New Delhi, 1985.
: Report of the Working Group to Review Teachers Training Programme (in the Light of the Need for Value Orientation), 1983.

Guilford, J.P. (1984) : Psychometric Methods. New York. Mcgrow Hill book Co. Inc.

Gupta, B.K. (2005) : महिला सशक्तिकरण का यथार्थ. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 2005

Gupta, K.M. (1991) : Training-Cum-Research Project in Value Orientation**:** Value Analysis Model, New Delhi**:** DTE,SE & ES, NCERT.

Gupta, Krishna (2002) : भारतीय राजनीतिक चिन्तन में गांधीवाद शिमला, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास की पत्रिका चेतना।

Gupta, Ranjan (1989) : Quoted by R.S. Pandey.

Gupta, N.L. (1986) Value Education : Theory & Practive, Ajmer **:** Krishna Brothers.

Guttman, L.A. (1967) : A basis for scaling the qualitative data in M. Fishbein (ed.) Attitude theory and Measurement, John Wilay & sons, Inc.

Holstein, C.E. (1977) : The Relation of Children's Moral Judgement Level to That of Their Parents and to Communication Patterns in the family. In Smart, R.C. & M.S. (Ed.) Reading in Child Development and Relatinships. New Delhi **:** Light & Life Publishers, 484-494.

Hughes-Evans, D. (Ed.) (1977) : Environmental Education **:** Key Issues of the Future. Oxford **:** Pergamon Press.

Hunt, M.P. and Metcalf, L.E. (1969) : Teaching High School Social Studies, New York **:** Harper & Row.

Huren, Ratna (2006) : Human Rights in Manipur. Ph.D. Thesis of Calcatta University. ICSSR Documentation centre.

India Allance for Chld Right (2003) : Every Right for every Child, New Delhi 14 Jangwar-B Mathura Road.

Indian Council for Child Welfare (2002) : *Reginal Conferences on the global movement for children and emerging issues, Summary of Recomandatios, New Delhi, 4 Deen Dayal Upppadhyay Marg.*

Indira Devi, M. Prasantha Kumar, J. & Bhaskara Rao, D. (2004) : *Values in languages Text books. New Delhi. Discovery Publishing House, Darya Ganj.*

International Low Association (1980) : *Report of Seminar on Human Rights, organised by the I.L.A. Allahabad on 6th & 7th Dec. 1988.*

Jain, N.K. (Justice) 2006 : *महिलाओं के अधिकार बालकों को अधिकार, दलितों के अधिकार तथा गिरफ्तारी, जयपुर, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।*

Jayaswal, S.R. (1982): *Education for Social, Moral and Spiritual Values. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका 1 (2) 5–9*

Jayaswal, M. And Others (2003) : *Jour. of All India Asso. for Edu. Research Vol. 15 (3-4).*

Joglekar, G.V. and Kesarkar, M.K. (1992) : *A study of the effectiveness of the value, Clarification method of developing value clarification ability of students. Pune-SCERT.*

Kalelkar, Kaka Saheb (1995) : *अहिंसा जीवन संस्कृति की नई दिशा। दिल्ली 6, साहित्य प्रकाशन*

Kalia & Mathur (1986) : *Indian Psy. Abst. 24(1) 126. Full article Asian Jour. of Psy. & Edu. 1985, 15 (1) 126.*

Kerlinger, F.N. (1983) : *Foundations of Behavioural Research, New Delhi* ***:*** *Surjeet Publications.*

Klevan, A. (1957) : *An Investigation of a Methodology for Value Clarification. Its Relationship to Consistency in Thinking, Purposefulness and Human Relations. Ph.D. Thesis New York University.*

Kluckhohn, C. (1957) : *Values and Value Orientations in the Theory of Action. In T. Parsons & E.A. Shils (Eds.), Toward a General Theory of Action. Cambridge* ***:*** *Harvard University Press.*

Kochar, J.C. (2005) : *Jour. of Psy. Research Vol. 49(1) 26-32.*

Kohlberg, L (1976) : *The Child as a Moral Philosopher. In Dentler, R.A. and Shapiro, B.J. (Ed.) Readings in Educational Psychology. Contemporary Perspectives, New York* ***:*** *Harper & Row, 140-145.*

Krathwohl, D.R., Bloom, B.S. and Masia, B.B. (1964) : *Taxonomy of Educational Objectives****:*** *Affective Domain, New York* ***:*** *David McKay.*

Kulshreshtha, S.P. (1972) : *Study of Value Test (Hindi). Varanasi Roopa Psychological Center.*

Kumari, Sarla (1996) : *A study of the values related to woman in Telgu Textbook in Andhra Pradesh Ph.D. Thesis of Tirupati Uni.*

Misra, K.S. (1988) : *Jurisprudential Inquiry Model of Teaching. Can it be used for Developing Secularmindedness. Trends and Thoughts in Education 6 (Secularism), 38-44.*

Misra, K.S. (1989) : *Paryavarniya Shiksha aur Mulyon ka Vikas* ***:*** *Module for the Teacher Training Guide. Presented at Production-Oriented Workshop* ***:*** *Value Education Sponsored by Regional College of Education, Ajmer and held at Education Department, University of Allahabad from 19-9-89 to 24-9-89.*

Misra (1993) : *Fifth Survey of Educational Research NCERT.*

Morgan, C.T. and King, R.A. (1975) : *Introduction to Psychology New Delhi* ***:*** *Tata McGraw Hill Publishing Company, Ltd.*

Morrill, R.L. (1980) : *Teaching Values in College. San Francisco, Jossye-Bass Publishers.*

National Human Right Commission : *Annual Reports, 2006 & 2007.*

NCTE *: National Council for Teacher Education, New Delhi, Hans Bhawan 21 Bahadurshah Zaffar Marg*

: Human Rights and National Values-Self learning Modules for Teacher Educators-1999.

: Zakir Hussain on Education, 1999.

: Quality Improvement in Teacher Education Programmes, 2001

: शिक्षक प्रशिक्षण में मूल्यशिक्षा 2002

: Discrimination Based on Sex, Caste, Religion And Disability, 2004.

: The Mother on Education, 2004.

: अध्यापक शिक्षा के कतिपय मुद्दे एवं संदर्भ 2006

: NCTE Bulletin, I(2), 1989.

: NCTE Bulleting, I(1), 1989.

: Report on Education for quality Secondary Teacher Education 2005

Padamnabhan (1992) : *Evluation of Secondary school Telgu Taxt Books in Andra Pradsh, Ph.D. edu. S.V. University, Tirupati.*

Pal, S.K. and Misra, K.S. (1991) : *Effect of jurisprudential strategy of teaching on the development of social consciousness and ability to solve value conflicts ERIC-Research Project, University of Allahabad.*

Pandey, R.S. and Agarwal, V. (1982) : *Sahitya Parichay* ***:*** *Naitik Shiksha Visheshank Agra* ***:*** *Vinok Pustak Mandir.*

Pandey, S.P. (1990) : *Instructional and Nurturant Effects of Jurisprudential Inquiry Model of Teaching D.Phil. Thesis, University of Allahabad.*

Pandya, S. (1989) : *A Comparative Study of the Effectiveness of Various Strategies for the Development of Moral Values in Secondary School Students. Ph. D. Thesis, Rajasthan University, Jaipur.*

Singh, Anita (2006) : *मानवाधिकार, मानवीय संवेदना का द्योतक, कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2006.*

Singh, Bhopal (1985): *जनसंख्या शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन, गढ़वाल वि.वि. पीएच.डी. शोध प्रबन्ध अप्रकाशित*

: जनसंख्या शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2006)

: पर्यावरण शिक्षा, मेरठ लायल बुक डिपो (2007)

: पर्यावरण अध्ययन, मेरठ लायल बुक डिपो (2008)

UNESCO :

: Convention Against Discrimination in Education 14 Dec. 1960.

: International Commission for the Development of Education, Learning to be, 1972.

: Intergovernmental Conference on Environmental Education, Tbilisi (USSR) Final Report. Paris ***:*** *UNESCO, 1977.*

: Environment Education in Asia and the Pacific Report of a Regional Workshop. Bangkok UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific, 1980.

: *Convention on the Rights of the child, adopted by general assembly of pl.or.on. 20 Nov. 1989 Govt. of India accepted on 11 Dec. 1992.*

: ***The state of the world's children 2003.*** *Contains. Basic Indicators, Nutrition, Health, education. Demographic Indications, Economic INdiacators, Women HIV/AIDS and Malaria. Teh RAte of Profress. www.unicef.org*

: *Education for all, Strog Foundations* ***:*** *Early Childhood care and Education. 2007.*